न्यायालय विशेषाधिकारी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
(हाल कार्यालय राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।)

क्रमांकः– ओ0एस0डी0 / नविवि / 2013 / 756 दिनांकः– 14/8/13

अवार्ड

विषयः–केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 यथा संशोधित 1984 की धारा 11 के तहत राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय योजना ग्राम जालौर बी, तहसील व जिला जालौर कुल रकबा 17.10 हैक्टेयर का अवार्ड जारी करने बाबत।

सन्दर्भः–अधिसूचना क्रमांक प.7(70)न.वि.वि./III/06 दिनांक 06.01.10

राजस्थान आवासन मण्डल हेतु सार्वजनिक हित में आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि अवाप्ति की अधिसूचना ग्राम जालौर बी, तहसील व जिला जालौर कुल रकबा 17.10 हैक्टेयर के लिए अन्तर्गत धारा 4(1) राज्य सरकार द्वारा दिनांक 06.01.10 को जारी की गयी जिसमें भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा 4(2) के तहत विशेषाधिकारी नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, हाल कार्यालय राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को भूमि अधिग्रहण हेतु अधिकृत किया गया।

उक्त अधिसूचना का दिनांक 02.02.10 को राजस्थान राज–पत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन कराया गया। इसी प्रकार अधिसूचना का दो समाचार पत्रों में यथा 'राट्र दूत' जालौर संस्करण दिनांक 27.05.10 एवं "दैनिक नवज्योति" जोधपुर संस्करण में दिनांक 28.05.10 को प्रकाशन करवाया गया। सार्वजनिक हित में व्यापक प्रचार–प्रसार की दृष्टि से अधिसूचना के पब्लिक नोटिस दिनांक 08.06.10 को सम्बन्धित को जारी कर जरिए आवासीय अभियंता तामील करवाए गये जिनकी तामीली की अन्तिम दिनांक 27.06.10 अंकित की गयी है। इस प्रकार धारा 4(1) की अन्तिम प्रकाशन की तिथि 27.06.10 निश्चित की गयी है।

प्रकरण में विशेषाधिकारी द्वारा धारा 4(1) के समय प्राप्त सभी आपत्तियों का निस्तारण कर दिनांक 04.04.11 को 5ए की मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई जिसमें कुल 17.10 हैक्टेयर अवाप्त किया जाना प्रस्तावित किया गया। राज्य सरकार द्वारा भूमि 17.10 हैक्टेयर की धारा 6 की अधिसूचना दिनांक 27.06.11 को जारी की गयी जिसका राजस्थान के राजपत्र के विशेषांक में 28.06.11 को प्रकाशन करवाया गया तथा दो स्थानीय समाचार पत्रों "दैनिक भास्कर' व "जलते दीप" जोधपुर संस्करण में दिनांक 17.08.11 को प्रकाशन करवाया गया। पब्लिक नोटिस अन्तर्गत धारा 6(2) दिनांक 27.09.11 को जारी कर आवासीय अभियंता के द्वारा तामील करवाये गये जिसके अनुसार तामीली की अन्तिम दिनांक 18.10.11 निश्चित की गई। अवाप्ति प्रक्रिया में आगे व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु सार्वजनिक हित में धारा 9(1) के नोटिस दिनांक 07.02.12 एवं 07.06.12 तथा धारा 9(3) के व्यक्तिगत नोटिस दिनांक 07.12.12 को जारी कर जरिए आवासीय अभियंता तामील करवाए गये जिसमें धारा 9(3) के नोटिस के क्रम में खातेदारों से राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 27.10.05 के क्रम में विकसित भूखण्ड लेने का विकल्प भी प्रस्तुत किया जा सकता है बाबत सूचित किया गया। धारा 9(3) के व्यक्तिगत नोटिस के क्रम में खसरा नं. 5272, 5273, 5277, एवं 5270 के खातेदारों ने 25 प्रतिशत विकसित भूखण्ड के विकल्प के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गए। मण्डल को पत्र दिनांक 24.04.13 द्वारा खातेदारों से प्राप्त 25 प्रतिशत विकसित भूमि के प्रार्थना पत्र की प्रति प्रेषित कर टिप्पणी मांगी गई। इसके प्रत्युत्तर में सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल ने अपने पत्र दिनांक 01.07.13 द्वारा सूचित किया कि उक्त खसरा नम्बरों में 25 प्रतिशत विकसित भूखण्ड चाहने वाले खातेदारों/हितधारियों को भूखण्ड दिए जाने से मण्डल सिद्धान्तः सहमत है तथा अवार्ड जारी करने का अनुरोध किया।

176 (922)

प्रश्नगत भूमि के खसरा नं. 5269 रकबा 1.55 हैक्ट. में खातेदारान/हितधारियों ने प्रार्थना पत्र मय प्रमाणित राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थियों ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा प्लाट क्रय किए है जिसका राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज हो चुका है। अतः मूल खातेदारों के स्थान पर हमारा नाम अंकित किया जावे। उक्त प्रार्थियों के प्रार्थना पत्र के आधार पर राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया एवं जमाबन्दी में खातेदारी के अनुसार उक्त खसरा में प्रार्थियों का नाम संशोधन कर भूमि विवरण में संशोधन किए जाने का निर्णय दिनांक 06.12.12 को लिया गया तथा निम्न संशोधन के अनुसार खातेदार/हितधारियों को धारा 9(3) के व्यक्तिगत नोटिस जारी किए—

खसरा नं. 5269 रकबा 1.55 हैक्टेयर में खातेदार का नाम अमृतलाल वल्द सुमेरमल भण्डारी, प्रकाशमल वल्द चम्पालाल ओसवाल जैन सा. जालौर के स्थान पर देवीलाल सुथार पुत्र मंछालाल जाति सुथार प्लाट नं. 7 रकबा 167.28 वर्गमी., संजय कुमार पुत्र देवीलाल ना.बा. जरिए कुदरती वली पिता देवीलाल पुत्र मंछालाल जाति सुथार प्लाट नं. 8 रकबा 167.28 वर्गमी., श्रीमती रेखा देवी पत्नी पारसमल जाति सुथार, प्लाट नं. 9, रकबा 167..28 वर्गमी., श्रीमती सुषमा गोयल पत्नी श्यामलाल जाति गोयल प्लाट नं. 10 रकबा 167.28 वर्गमी., राजेन्द्र कुमार छीपा पुत्र बाबूलाल कौम छीप सा. गांधी चौक जालौर भू.सं. 23 व 24 रकबा 334.56 वर्ग मी., तरूण जैनपुत्र गणपतचन्द कौम जैन सा. खतरावास जालोर भू.सं. 39 रकबा 167.28 वमी., लता जैनपुत्री प्रतापचन्द कौम जैन सा. खरतरावास जालौर हालजोधपुर भू.सं. 25 रकबा 167.28 वमी., रेणुजैन पुत्री प्रतापचन्द कौम जैन सा. खरतरावसा जालौरहाल जौधपुर भू.सं. 26, रकबा 167.28 वमी, गीता भण्डारी पत्नी हेमेन्द्रकुमार कौम जैनसा आदर्श नगर जालौर भू.सं. 38 रकबा 167.28 वगमी. महावीर पुत्र गणपतचन्द कौम जैनसा. खरतरावास जालौर भू.सं. 40, रकबा167.28 वगमी., गीता भण्डारी पत्नी हेमेन्द्रकुमार कौम जैन भण्डारी सा. आदर्श नगर जालौर भू.सं. 37, रकबा167.28 वगमी., दिपेश शर्मा पुत्र पूर्ण प्रकाश शर्मा कौम शर्मा, (सेवग) सा. फौलावासजालौर भू.सं. 12 रकबा167.28 वगमी., श्रीमती सूकी देवी पत्नी हिमतारामजी सा. बिछावाड़ी तहसील आहोर,, भूखण्ड सं. 11 रकबा 167.28 रकबा वर्गमी., मंजू देवी पत्नी पारसमल कौम सुथार भूखण्ड सं. 22, रकबा 167.28 वर्गमी. राजकुमार वल्द ओमप्रकाश जाति त्यागी सा. दिल्ली हाल जालोर भू.सं. 14 रकबा 167.28 वर्गमी. पुरी देवी पत्नी रणछोडाराम कौम माली सा. जालौर भू.सं. 15, रकबा 167.28 वगमी., शेष अमृतलाल वल्द सुमेरमल भण्डारी, प्रकाशमल वल्द चम्पालाल ओसवाल जैन सा. जालौर रकबा 12656.24 वर्गमी.

खसरा नं. 5269 में अमृतलाल पुत्र सुमेरमल भण्डारी, रेखा देवी पत्नी पारसमल सुधार, देवीलाल सुधार, सुषमा गोयल पत्नी श्यामलाल, राजेन्द्र कुमार छीपा पुत्र बाबूलाल, पूरीदेवी पत्नी रणछोडाराम, मंजूदेवी पत्नी पारसमल, श्रीमती सुखी देवी पत्नी, हिमताराम, गीता भण्डारी, पत्नी हेमेन्द्र भण्डारी ने 9(3) के नोटिस के जवाब में एक ही प्रकृति की आपत्तियां प्रस्तुत की जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है—

(i) यह है कि खसरा नं. 5269 में भूखण्ड क्रय किया गया जो इनके रहवास का साधन है। इसमें अवाप्त नहीं किया जाए। यदि अवाप्त किया जाता है तो शत–प्रतिशत भूमि दी जाए। कुछ भूखण्डधारियों ने स्वयं के भूखण्ड की कीमत, भूखण्ड में निर्मित तामीरात की मुआवजा राशि की मांग भी की है। साथ ही उक्त भूमि में माननीय न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन होने का कथन करते हुए न्यायालय के निर्णय आने तक कोई कार्यवाही नहीं करने का निवेदन किया है।

(ii) साथ ही निवेदन किया है कि इसे अवाप्त नहीं किया जावे। यदि किया जाता है तो भूखण्ड उसे ही आवंटित किया जावे।

खसरा नं. 5270 रकबा 2.51 है. में पुष्पा देवी पत्नी भैरूमल प्रसन्नकुमार पुत्री मनमोहन दीपक कुमार पुत्र भैरूमल, भूपेश कुमार पुत्र भैरूमल, ममता पुत्री भैरूमल, दिनेश कुमार पुत्र सांखल चन्द, किशोर चन्द पुत्र चांदमल, सुन्दरदेवी पत्नी किशोर चन्द, मीरा देवी पत्नी चंपालाल, फैन्शी देवी पत्नी गोतम चन्द दर्शन कुमार गौतम कुमार, श्रीमती कमला पत्नी महावीर मेहता, प्रदीप पुत्र पुखराज भण्डारी, निखल पुत्र कुशालराज, निर्मला

पत्नी कुशालराज, दुर्गा पत्नी सुरेश जैन, संजय पुत्र भुवनेश, भैरूमल पुत्र सांखल चन्द, शशिकंवर पत्नी रमेश सिंह, समरथा राम पुत्र मूला जाति सुधार, गोवर्धन लाल पुत्र तारा, भोमाराम पुत्र आधाराम माली, ने 9(3) के नोटिश के जवाब में एक ही प्रकृति की आपत्तियां प्रस्तुत की जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है।

(i) यह है कि खसरा नं. 5270 रकबा 2.51 है. आवासीय भूमि पट्टा शुदा है इस पर काफी निर्माण कार्य हो चुका है इस भूमि के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय में मुकदमा नं. C/W 11058/2011, and 11059/2011 विचाराधीन है जब तक न्यायालय द्वारा कोई निर्णय नहीं दिया जाता तब तक कोई कार्यवाही नही करें। यदि न्यायालय के निर्णय होने से पूर्व कोई निर्णय लिया जाता है तो हमारी भूमि के खसरा नं. 5270 के तमाम पट्टेधारियों को शत प्रतिशत भूमि यथा स्थान पर काबिज रखे। कुछ भूखण्डधारियों ने स्वयं के भूखण्ड की कीमत, भूखण्ड में निर्मित तामीरात की मुआवजा राशि की मांग भी की है।

खसरा नं. 5270 एवं 5269 में प्राप्त आपत्तियों का अवलोकन किया। सभी आपतिकर्ताओं ने एक ही प्रकृति की आपत्ति प्रस्तुत की है। आपत्तिकर्ताओं ने माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन याचिकाओं में निर्णय होने तक कोई कार्यवाही नहीं किए जाने तथा भूमि को अवाप्ति से मुक्त किये जाने एवं अवाप्त किए जाने की दशा में शत प्रतिशत भूखण्ड उन्हीं को आवंटित करने का अनुरोध किया। आपत्तिकर्ताओं ने कोई विधिवत क्लेम प्रस्तुत नहीं किया। प्रभारी अधिकारी एवं आवासीय अभियंता ने अपने पत्र दिनांक 07.08.13 को अवगत कराया कि माननीय उच्च न्यायालय में एस.बी.सिविल रिट संख्या 11858/2011, 11859/2011, 1083/2013 एवं 9068/2012 विचाराधीन है जिनमें कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किए गए। अतः नियमानुसार अवार्ड प्रस्तावित किया जा रहा है। यह अवार्ड उक्त याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अध्यधीन रहेगा। चूंकि भूमि का धारा 6 की अधिसूचना में प्रकाशन हो चुका है। अतः अवाप्ति से मुक्त करना इस स्तर पर पोषणीय नहीं है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 27.10.05 के अनुसार अधिकतम 25 प्रतिशत विकसित भूखण्ड खातेदारों द्वारा विकल्प पत्र प्रस्तुत करने पर दिये जा सकते है। खातेदारों द्वारा न तो विकल्प पत्र प्रस्तुत किए गए न ही कोई क्लेम प्रस्तुत किया गया है। परिपत्र अनुसार शत प्रतिशत भूमि दिया जाना संभव नहीं है। भूमि पर स्थित तामीरातों की मुआवजा राशि का निर्धारण तत्समय प्रचलित बी.एस.आर. दरों के अनुसार आवासीय अभियंता द्वारा तैयार तकमीना के आधार पर तय किया जाता है। आपत्तिकर्ताओं ने न तो कोई विधिवत क्लेम प्रस्तुत किया है न ही कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। अतः आपत्तियां स्वीकार योग्य नहीं है। नियमानुसार अवार्ड प्रस्तावित किया जा रहा है।

खसरा नं. 6395/5271 मे विक्रम सिंह, दुश्यन्त राजपुरोहित पुत्र पुखराज सिंह, कविता जैन पत्नी अनिल जैन, मधु जैन पत्नी राजेन्द्र जैन, राजेन्द्र कुमार पुत्र घेवरचन्द, रेणुका भण्डारी पत्नी हीराचन्द जैन, मदन जैन पुत्र चंपालाल जैन, पुरूषोत्तम सोनी पुत्र हरीराम सोनी, अनिल जैन पुत्र सोहनलाल जैन, रमेश सिंह राजपुरोहित पुत्र मानसिंह ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों की फोटो प्रतियां संलग्न कर निवेदन किया है कि उक्त भूमि मे उनके द्वारा भूखण्ड क्रय किये गए है। अतः उन्हें रिकार्ड पर लिया जावे।

खसरा नं. 6395/5271 में भूखण्डधारियों की प्राप्त आपत्तियों से स्पष्ट है कि भूमि पर खातेदार द्वारा भूखण्ड सृजित कर आवासीय योजना विकसित कर दी गई है तथा अन्य व्यक्तियो के भी भूखण्ड होने संभावित है। अतः खसरा नम्बर 6395/5271 की भूमि का स्वामित्व विवादित मानते हुए नगद मुआवजा उप पंजीयक जालौर से प्राप्त दरों के आधार पर निर्धारण कर स्वत्व निर्धारण हेतु सिविल न्यायाधीश को रेफर किया जा रहा है।

9(3) के नोटिस के जवाब में खसरा नं. 5278 रकबा 1.75 है. में कल्पेश कुमार पुत्र हीरालाल ने आपत्ति प्रस्तुत की जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है।

यह है कि खसरा नं. 5278 में मेरे हिस्से की कुल 0.29 है. भूमि श्रृखंलाबद्ध मकान बने होने के कारण तथा अधिकांश भूमि आबादी में परिवर्तित होने के कारण अवाप्ति से मुक्त करने के आदेश जारी करावे। अपने मत के समर्थन में उपखण्ड अधिकारी जालौर से जारी पट्टा अभिलेख की फोटो प्रति तथा जिला कलेक्टर

जालौर की दिनांक 26.08.10 की जांच रिपोर्ट की फोटो प्रति संलग्न की है। हमारे द्वारा इस जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। इसके अनुसार खसरा नं. 5278 की 0.42 हैक्टेयर भूमि पर भूमि रुतान्तरण पट्टे होना बताया गया है परन्तु इस जांच रिपोर्ट के साथ उपखण्ड अधिकारी जालौर द्वारा भूमि के रूपान्तरण सम्बन्धित कोई प्रमाणित दस्तावेज यथा सम्परिवर्तन आदेश, जारी पट्टा विलेखों की सत्यापित प्रतिलिपि अथवा राजस्व रिकार्ड प्रेषित नहीं किए गए हैं। उपखण्ड अधिकारी जालौर व तहसीलदार जालौर तथा आवासीय अभियन्ता जालौर से अवाप्ताधीन भूमि के आवासीय सम्पारिवर्तन व राजस्व रिकार्ड में अंकन मय तरमीमशुदा नक्शा प्राप्त करने के लिए रिपोर्ट चाही गई जो आज दिनांक तक अप्राप्त है। प्रार्थी ने भी भूमि के आवासीय रूपान्तरण सम्बन्धित कोई प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए है और भूमि को अवाप्ति से मुक्ति की प्रार्थना की है जो इस स्तर पर पोषणीय नहीं है। किसी भी आपतिकर्ता द्वारा आवासीय सम्परिवर्तन सम्बन्धित प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए है। अतः उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के आधार पर नियमानुसार मुआवजा राशि की गणना की जा रही है।

ग्राम जालौर बी, तहसील व जिला जालौर में अवाप्त की जाने वाली भूमि का संशोधित विवरण निम्न प्रकार से है–

क्र.सं.	खसरा नं.	किस्म जमीन	रकबा	नाम खातेदार	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1	5269	बारानी सोयम	1.55	देवीलाल सुथार पुत्र मंछालाल जाति सुथार प्लाट नं. 7 रकबा 167.28 वर्गमी., संजय कुमार पुत्र देवीलाल ना.बा. जरिए कुदरती वली पिता देवीलाल पुत्र मंछालाल जाति सुथार प्लाट नं. 8 रकबा 167.28 वर्गमी., श्रीमती रेखा देवी पत्नी पारसमल जाति सुथार, प्लाट नं. 9, रकबा 167..28 वर्गमी., श्रीमती सुषमा गोयल पत्नी श्यामलाल जाति गोयल प्लाट नं. 10 रकबा 167.28 वर्गमी., राजेन्द्र कुमार छीपा पुत्र बाबूलाल कौम छीप सा. गांधी चौक जालौर भू.सं. 23 व 24 रकबा 334.56 वर्ग मी., तरूण जैनपुत्र गणपतचन्द कौम जैन सा. खतरावास जालोर भू.सं. 39 रकबा 167.28 वमी., लता जैनपुत्री प्रतापचन्द कौम जैन सा. खरतरावास जालौर हालजोधपुर भू.सं. 25 रकबा 167.28 वमी., रेणुजैन पुत्री प्रतापचन्द कौम जैन सा. खरतरावसा जालौरहाल जौधपुर भू.सं. 26, रकबा 167.28 वमी, गीता भण्डारी पत्नी हेमेन्द्रकुमार कौम जैनसा आदर्श नगर ज़ालौर भू.सं. 38 रकबा 167.28 वगमी. महावीर पुत्र गणपतचन्द कौम जैनसा. खरतरावास जालौर भू.सं. 40, रकबा167.28 वगमी., गीता भण्डारी पत्नी हेमेन्द्रकुमार कौम जैन भण्डारी सा. आदर्श नगर जालौर भू.सं. 37, रकबा167.28 वगमी., दिपेश शर्मा पुत्र पूर्ण प्रकाश शर्मा कौम शर्मा, (सेवग) सा. फौलावासजालौर भू.सं. 12 रकबा167.28 वगमी., श्रीमती सूकी देवी पत्नी हिमतारामजी सा. बिछावाड़ी तहसील आहोर,, भूखण्ड सं. 11 रकबा 167.28 रकबा वर्गमी.,	

				मंजू देवी पत्नी पारसमल कौम सुथार भूखण्ड सं. 22, रकबा 167.28 वर्गमी. राजकुमार वल्द ओमप्रकाश जाति त्यागी सा. दिल्ली हाल जालोर भू.सं. 14 रकबा 167.28 वर्गमी. पुरी देवी पत्नी रणछोडाराम कौम माली सा. जालौर भू.सं. 15, रकबा 167.28 वगमी., शेष अमृतलाल वल्द सुमेरमल भण्डारी, प्रकाशमल वल्द चम्पालाल ओसवाल जैन सा. जालौर रकबा 12656.24 वर्गमी.	
2	6395/5271	बारानी सोयम	0.49	नीता कुमारी पुत्री गंगासिंह चन्द्रवीरसिंह, सूर्यवीर सिंह पिता गंगासिंह जाति राजपूत	
3	5277	बारानी सोयम	1.87	पार्वती देवी जोजे किशनाराम माली	
4	5271	बारानी सोयम	0.32	भूराराम बल्द केशा कौम माली	
5	5272	बारानी सोयम	1.33	मेथी पत्नी रतना अम्बालाल पुत्र रतना कौम माली	
6	5273	बारानी सोयम	6.27	मेथी पत्नी रतना अम्बालाल पुत्र रतना कौम माली	
7	5274	बारानी सोयम	1.01	(बिलानाम) 6 वर्ष या अधिक परती	
8	5270	बारानी सोयम	2.51	दिनेश कुमार पुत्र सांकलचन्द कौम जैन (2 प्लोट) 697.69 वमी. भैरूमल पुत्र सांकलचन्द (2 प्लोट) 371.60 वमी. ममता पुत्र भैरूमल सोलंकी (2 प्लोट) 371.60 वमी. पुष्पादेवी पत्नी भैरूमल (2 प्लोट) 408.76 वमी. श्रीमती कमला पत्नी महावीरचन्द मेहता (2 प्लोट) 408.76 वमी. दर्शनकुमार पुत्र गौतम भण्डारी (2 प्लोट) 457.07 वमी. प्रदीपकुमार पुत्र पुखराज भण्डारी (2 प्लोट) 457.07 वमी. किशोरचन्द पुत्र चान्दमल श्रीमती सुन्दर देवी पत्नी किशोरचन्द मीनादेवी पुत्री चम्पालाल सोलंकी 139.34 वमी. श्रीमती फैन्सी देवी W/o गौतमचन्द (2 प्लोट) 457.07 वमी. मीना देवी पुत्री चम्पालाल (2 प्लोट) 557.07 वमी. सुन्दरदेवी पत्नी किशोरचन्द (2 प्लोट) 457.07 वमी. किशोर चन्द पुत्र चान्दमल (2 प्लोट) 457.07 वमी. संजय पुत्र भुवनेश (2 प्लोट) 457.07 वमी. श्रीमती दुर्गा पत्नी सुरेश जैन (2 प्लोट) 457.07 वमी. निर्मला पत्नी खुशालराज (2 प्लोट) 457.07 वमी. निखिलकुमार पुत्र खुशालराज 542.54 वमी. प्रदीपकुमार पुत्र पुखराज, संजयकुमार पुत्र भुवनेशकुमार, दर्शनकुमार पुत्र गौतमचन्द, श्रीमती कमला पत्नी महावीर मेहता, श्रीमती दुर्गा पत्नी सुरेशजी, श्रीमती निर्मला पत्नी खुशालराज निखिलकुमार पुत्र खुशालराज 203.45वमी. दिनेशकुमार पुत्र सांकलचन्द (2 प्लोट) 408.76वमी.	

८६

				भुपेशकुमार पुत्र भैरूमल (2 प्लोट) 408.76वमी. दीपककुमार पुत्र भैरूमल (2 प्लोट) 408.76वमी. प्रसन्नकुमारी W/o मनमोहन जैन (2 प्लोट) 408.76वमी. प्रदीपसिंह पुत्र गणपत सिंह, खंगारसिंह पुत्र विजयसिंह नि. रामसीन 1713.88 वमी. राजराम पुत्र स्व. रूपाराम नैनूदेवी पत्नी राजराम कौम रेबारी सा. तेलवाडा 185.75 वमी. बलदेव पुत्र जसाराम जाति जोशी ब्राम्हण 185.75 वमी. लक्ष्मण सिह पुत्र पदम सिंह, कौम राजपुरोहित सा. अलासण 92.93 वमी. पाबू देवी पत्नी लक्ष्मण सिंह कौम राजपुरोहित सा. अलासण 92.94 वमी. शशिकंवर धर्मपत्नी रमेशकुमारसिंह राजपूत सा. देह 185.75 वमी. समरथाराम पुत्र मूलाजी जाति सुथार सा. छिपरवाडा तह. आहोर 185.75 वमी. गोरधनलाल पुत्र तारजी जाति राजपुरोहित सा. भागली पुरोहितान तह. आहोर 185.75वमी. अणदाराम वल्द चिमनाराम कौम मेघवाल सा. जालौर 185.75वमी. भोमाराम पुत्र आदाराम माली जाति माली सा. भेसवाड़ा तह. आहोर 185.87वमी. उर्मिला पत्नी लक्ष्मणरामजी कौम माली सा. हैडपोस्ट ऑफिस रोड़, जालौर 377.32 वमी. सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि 1.30 है.	
9	5278	बारानी सोयम	1.75	कनका बेवा हजारीराम, समरथाराम पुत्र हजारीयां, भीमा पुत्र हजारीयां, भंमराराम पुत्र हजारीराम, भूरा पुत्र हजारी राम, मोहनलाल पुत्र मंगियां, लच्छीराम पुत्र दानाजी, सुन्दर पुत्री छोंगाजी पत्नी मालाराम माली, 30 बीघा 12 बिस्वा, लीला पत्नी हुकमराज मेहता, प्रसन्न पत्नी मोतीलाल मेहता, कलपेश कुमार पुत्र हीरालाल गांधी, सुबोध कुमार पुत्र हीरालाल गांधी, 12 बीघा 6 बिस्वा, कौम जैन 1/2 सां–जालौर राजेश कुमार पुत्र मोतीलाल मेहता, मु. बादामीबाई बेवा सुमेरमल सोनंगरा कौम जैन 12 बीघा 6 बिस्वा, 1/2 सां–जालौर खातेदार	

भूमि का मुआवजा निर्धारित करने हेतु सम्बन्धित आवासीय अभियंता से धारा 4(1) की अधिसूचना की दिनांक 06.01.10 को प्रचलित भूमि की डी.एल.सी. दरे व तकमीना प्रेषित करने हेतु पत्र दिनांक 13.02.13 द्वारा सूचित किया गया। आवासीय अभियंता के पत्र दिनांक 09.05.13 द्वारा उप पंजीयक जालौर द्वारा डी.एल.सी. दरों की छाया प्रति प्राप्त हुई। इस सम्बन्ध में पत्र दिनांक 27.05.13 द्वारा उप पंजीयक जालौर को प्रमाणित डी.एल.सी. दरे भिजवाने हेतु सूचित किया गया। उप पंजीयक जालौर से पत्र दिनांक 01.07.13 द्वारा प्रमाणित डी.एल.सी. दरे प्राप्त हुई जिसमें डी.एल.सी. दरे प्रति हैक्टे. निम्न प्रकार दर्शायी गई:–

सिंचित		असिंचित		आवासीय	
आबादी/सड़क के पास	आबादी/सड़क के दूर	आबादी/सड़क के पास	आबादी/सड़क के दूर	मुख्य सड़क	गली में
1,49,738+33% अतिरिक्त वृद्धि= 1,99,152/–प्रति हैक्टेयर	1,33,100+33% अतिरिक्त वृद्धि = 1,77,023/– प्रति हैक्टेयर	1,29,773+33% अतिरिक्त वृद्धि = 1,72,598/– प्रति हैक्टेयर	1,19,790+33% अतिरिक्त वृद्धि = 1,59,321/– प्रति हैक्टेयर	61/–रू. प्रतिवर्ग फीट	54/–रू. प्रतिवर्ग फीट

181 9271

आवासीय अभियंता ने पत्र दिनांक 09.05. 13 द्वारा प्रेषित नक्शे पर दर्शाते हुए अवगत कराया कि अवाप्ताधीन भूमि के खसरा नं. 5269, 5270, 5271, 6395/5271, सड़क के पास, खसरा नं. 5272, 5273, 5274, 5277 एवं 5278 सड़क से दूर स्थित है।

अवाप्ताधीन भूमि कृषि भूमि के अन्तर्गत सिंचित/असिंचित श्रेणी की है तथा भूमि की आवासीय योजना हेतु उपयुक्तता एवं भविष्य में होने वाले विकास तथा पौटेन्शियलटी को ध्यान में रखते हुये भू-अर्जन अधिनियम की धारा 23 में वर्णित अन्य दिग्दर्शकों के सन्दर्भित तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उक्त समस्त अवाप्ताधीन भूमि का उपयोग आवासीय प्रयोजनार्थ किया जावेगा। उक्त भूमि का असिंचित श्रेणी में सड़क के पास एवं सड़क से दूर में क्रमशः 172,598/- व 1,59,321 प्रति हैक्टेयर की दर से तथा राजस्व रिकार्डानुसार खसरा नं. 5270 में 0.89 हैक्टे. सम्परिवर्तन आबादी होने के कारण 61/-रूपये प्रति वर्गफीट तथा शेष कृषि भूमि होने के कारण 1,72,598/- रूपये प्रति हैक्टे. की दर से खातेदारों को भुगतान किया जाना प्रस्तावित है। अतः मुआवजा राशि की गणना निम्न प्रकार से की जाती है-

वाद संख्या	काश्तकार का नाम व पिता का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर में	नगद मुआवजा/ 25 प्रतिशत विकसित भूखण्ड	
7(70)/ 10/1	देवीलाल सुथार पुत्र मंछालाल जाति सुथार प्लाट नं. 7 रकबा 167.28 वर्गमी., संजय कुमार पुत्र देवीलाल ना.बा. जरिए कुदरती वली पिता देवीलाल पुत्र मंछालाल जाति सुथार प्लाट नं. 8 रकबा 167.28 वर्गमी., श्रीमती रेखा देवी पत्नी पारसमल जाति सुथार, प्लाट नं. 9, रकबा 167..28 वर्गमी., श्रीमती सुषमा गोयल पत्नी श्यामलाल जाति गोयल प्लाट नं. 10 रकबा 167. 28 वर्गमी., राजेन्द्र कुमार छीपा पुत्र बाबूलाल कौम छीप सा. गांधी चौक जालौर भू.सं. 23 व 24 रकबा 334.56 वर्ग मी., तरूण जैनपुत्र गणपतचन्द कौम जैन सा. खतरावास जालोर भू.सं. 39 रकबा 167.28 वमी., लता जैनपुत्री प्रतापचन्द कौम जैन सा. खरतरावास जालौर हालजोधपुर भू.सं. 25 रकबा 167. 28 वमी., रेणुजैन पुत्री प्रतापचन्द कौम जैन सा. खरतरावसा जालौरहाल जौधपुर भू.सं. 26, रकबा 167.28 वमी, गीता भण्डारी पत्नी हेमेन्द्रकुमार कौम जैनसा आदर्श नगर जालौर भू.सं. 38 रकबा 167.28 वगमी. महावीर पुत्र गणपतचन्द कौम जैनसा. खरतरावास जालौर भू.सं. 40, रकबा167.28 वगमी., गीता भण्डारी पत्नी हेमेन्द्रकुमार कौम जैन भण्डारी सा. आदर्श नगर जालौर भू.सं. 37, रकबा167.28 वगमी., दिपेश शर्मा पुत्र पूर्ण प्रकाश शर्मा कौम शर्मा, (सेवग) सा. फौलावासजालौर भू.सं. 12 रकबा167.28 वगमी.,	5269	1.55	1,72,598 प्रति हैक्ट. भूमि कीमत	2,67,527
				योग अ	**2,67,527**
				30% अनिवार्य अवाप्ति ब	82,258
				योग अ+ब	**3,47,785**

नं

	श्रीमती सूकी देवी पत्नी हिमतारामजी सा. बिछावाड़ी तहसील आहोर,, भूखण्ड सं. 11 रकबा 167.28 रकबा वर्गमी., मंजू देवी पत्नी पारसमल कौम सुथार भूखण्ड सं. 22, रकबा 167.28 वर्गमी. राजकुमार वल्द ओमप्रकाश जाति त्यागी सा. दिल्ली हाल जालोर भू. सं. 14 रकबा 167.28 वर्गमी. पुरी देवी पत्नी रणछोडाराम कौम माली सा. जालौर भू.सं. 15, रकबा 167.28 वगमी., शेष अमृतलाल वल्द सुमेरमल भण्डारी, प्रकाशमल वल्द चम्पालाल ओसवाल जैन सा. जालौर रकबा 12656.24 वर्गमी.				
7(70)/ 10/2	नीता कुमारी पुत्री गंगासिंह चन्द्रवीरसिंह, सूर्यवीर सिंह पिता गंगासिंह जाति राजपूत	6395/ 5271	0.49	1,72,598 प्रति हैक्ट. भूमि कीमत	84,573
				योग अ	**84,573**
				30% अनिवार्य अवाप्ति ब	25,372
				योग अ+ब	**1,09,945**
				खातेदार द्वारा भूखण्ड सृजित कर आवासीय योजना विकसित कर दी गई है तथा अन्य व्यक्तियो के भी भूखण्ड होने संभावित है। अतः भूमि का स्वामित्व विवादित मानते हुए मुआवजा स्वत्व निर्धारण हेतु सिविल न्यायाधीश को रेफर किया जा रहा है।	
7(70)/ 10/3	पार्वती देवी जोजे किशनाराम माली	5277	1.87	खातेदारो द्वारा 25 प्रतिशत विकसित भुखण्ड की मांग किये जाने के कारण मुआवजा राशि की गणना नही की जा रही है।	
7(70)/ 10/4	भूराराम बल्द केशा कौम माली	5271	0.32	1,72,598 प्रति हैक्ट. भूमि कीमत	55,231
				योग अ	**55,231**
				30% अनिवार्य अवाप्ति ब	16,569
				योग अ+ब	**71,800**
7(70)/ 10/5अ	मेथी पत्नी रतना कौम माली हि. 1/2	5272 5273	1.33 6.27	1,59,321 प्रति हैक्ट. भूमि कीमत	**6,05,420**
				योग अ	**6,05,420**
				30% अनिवार्य अवाप्ति ब	**1,81,626**
				योग अ+ब	**7,87,046**
7(70)/ 10/5ब	अम्बालाल पुत्र रतना कौम माली हि. 1/2			**खातेदारो द्वारा 25 प्रतिशत विकसित भुखण्ड की मांग किये जाने के कारण मुआवजा राशि की गणना नही की जा रही है।**	
7(70)/ 10/6	**(बिलानाम) 6 वर्ष या अधिक परती**	**5274**	1.01	राजकीय भूमि होने के कारण मुआवजा राशि की गणना नहीं की जा रही है।	

183 929

7(70)/10/7	दिनेश कुमार पुत्र सांकलचन्द कौम जैन (2 प्लोट) 697.69 वमी. भैरूमल पुत्र सांकलचन्द (2 प्लोट) 371.60 वमी. ममता पुत्र भैरूमल सोलंकी(2 प्लोट) 371.60 वमी. पुष्पादेवी पत्नी भैरूमल (2प्लोट) 408.76 वमी. श्रीमती कमला पत्नी महावीरचन्द मेहता (2 प्लोट) 408.76 वमी. दर्शनकुमार पुत्र गौतम भण्डारी(2 प्लोट) 457.07 वमी. प्रदीपकुमार पुत्र पुखराज भण्डारी (2 प्लोट) 457.07 वमी. किशोरचन्द पुत्र चान्दमल श्रीमती सुन्दर देवी पत्नी किशोरचन्द मीनादेवी पुत्री चम्पालाल सोलंकी 139.34 वमी. श्रीमती फैन्सी देवी W/o गौतमचन्द (2 प्लोट) 457.07 वमी. मीना देवी पुत्री चम्पालाल (2 प्लोट) 557.07 वमी. सुन्दरदेवी पत्नी किशोरचन्द (2 प्लोट) 457.07 वमी. किशोर चन्द पुत्र चान्दमल (2 प्लोट) 457.07 वमी. संजय पुत्र भुवनेश (2 प्लोट) 457.07 वमी. श्रीमती दुर्गा पत्नी सुरेश जैन (2 प्लोट) 457.07 वमी. निर्मला पत्नी खुशालराज (2 प्लोट) 457.07 वमी. निखिलकुमार पुत्र खुशालराज 542.54 वमी. प्रदीपकुमार पुत्र पुखराज, संजयकुमार पुत्र भुवनेशकुमार, दर्शनकुमार पुत्र गौतमचन्द, श्रीमती कमला पत्नी महावीर. मेहता, श्रीमती दुर्गा पत्नी सुरेशजी, श्रीमती निर्मला पत्नी खुशालराज निखिलकुमार पुत्र खुशालराज 203.45वमी. दिनेशकुमार पुत्र सांकलचन्द (2 प्लोट) 408.76वमी. भुपेशकुमार पुत्र भैरूमल (2 प्लोट) 408.76वमी. दीपककुमार पुत्र भैरूमल (2 प्लोट) 408.76वमी. प्रसन्नकुमारी W/o मनमोहन जैन (2 प्लोट) 408.76वमी. प्रदीपसिंह पुत्र गणपत सिंह, खंगारसिंह पुत्र विजयसिंह नि. रामसीन 1713.88 वमी.	5270	2.51	रकबा 1.62 हैक्ट. 1,72,598 प्रति हैक्ट. भूमि कीमत	2,76,403
				योग अ	2,76,403
				30% अनिवार्य अवाप्ति	82,921
				योग अ+ब	3,59,324
				रकबा 0.89 हैक्ट. 61/-रू. प्रति वर्गफीट भूमि कीमत	58,43,938
				योग अ	58,43,938
				30% अनिवार्य अवाप्ति	17,53,182
				योग अ+ब	75,97,120

	राजराम पुत्र स्व. रूपाराम नैनूदेवी पत्नी राजराम कौम रेबारी सा. तेलवाडा 185.75 वमी. अणदाराम वल्द चिमनाराम कौम मेघवाल सा. जालौर 185.75वमी. भोमाराम पुत्र आदाराम माली जाति माली सा. भेसवाड़ा तह. आहोर 185.87वमी. उर्मिला पत्नी लक्ष्मणरामजी कौम माली सा. हैडपोस्ट ऑफिस रोड़, जालौर 377.32 वमी. सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि 1.30है			कुल भूमि 2.51 हैक्टे. में से 0.89 भूमि का आबादी में सम्परिवर्तन हो चुका है। अतः हितधारियों द्वारा पुर्नग्रहण/भू उपयोग परिवर्तन के आदेश व अन्य वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर हिस्सेनुसार मुआवजा देय होगा। शेष भूमि 1.62 हैक्टे. में हितधारियों द्वारा स्वत्व सम्बन्धी दस्तावेज प्रस्तुत करने पर हिस्सेनुसार मुआवजा देय होगा।	
7(70)/10/7ब	बलदेव पुत्र जसाराम जाति जोशी ब्राम्हण 185.75 वमी.			खातेदारो द्वारा 25 प्रतिशत विकसित भुखण्ड की मांग किये जाने के कारण मुआवजा राशि की गणना नही की जा रही है।	
7(70)/10/8	कनका बेवा हजारीराम, समरथाराम पुत्र हजारीयां, भीमा पुत्र हजारीयां, भंमराराम पुत्र हजारीराम, भूरा पुत्र हजारी राम, मोहनलाल पुत्र मंगियां, लच्छीराम पुत्र दानाजी, सुन्दर पुत्री छोंगाजी पत्नी मालाराम माली, 30 बीघा 12 बिस्वा, लीला पत्नी हुकमराज मेहता, प्रसन्न पत्नी मोतीलाल मेहता, कलपेशं कुमार पुत्र हीरालाल गांधी, सुबोध कुमार पुत्र हीरालाल गांधी, 12 बीघा 6 बिस्वा, कौम जैन 1/2 सां–जालौर राजेश कुमार पुत्र मोतीलाल मेहता, मु. बादामीबाई बेवा सुमेरमल सोनगरा कौम जैन 12 बीघा 6 बिस्वा, 1/2 सां–जालौर खातेदार	5278	1.75	1,59,321 प्रति हैक्ट. भूमि कीमत	2,78,812
				योग अ	2,78,812
				30% अनिवार्य अवाप्ति ब	83,644
				योग अ+ब	**3,62,456**
				खसरा नं. 5278 में अंकित खातेदारों का हिस्सा स्पष्ट नहीं है जिसमें मुआवजा राशि का वितरण किया जाना संभव नहीं है। मुआवजा राशि के हिस्सा का उचित वितरण हेतु सिविल न्यायाधीश को रेफर किया जाता है।	

प्रश्नगत भूमि के अन्तर्गत अवस्थित स्ट्रक्चर्स का तकमीना आवासीय अभियंता से प्राप्त हुआ है परन्तु उसमें तामीरातों के स्वामी के नाम अंकन नहीं है। अतः अवार्ड में तामीरातों का मुआवजा निर्धारित किया जा रहा है परन्तु मण्डल से तामीरातों के स्वत्व का निर्धारण किए जाने के पश्चात् उसके अनुसार ही मुआवजा देय होगा।

स्ट्रक्चर्स की मुआवजा राशि का विवरण

क्र. सं.	वाद सं.	खसरा नं.	तामीरातों का विवरण	राशि	30 प्रतिशित सोलेशियम राशि	कुल योग
1	7(70)/10/1	5269	A. बाउण्ड्रीवाल B Upto Roof Level C. Plot No. C (बाउण्ड्रीवाल) D. Plot No. D (बाउण्ड्रीवाल) E. Plot No. E (बाउण्ड्रीवाल)	56,700 4,76,280 56,700 56,700 74,550	2,16,279	9,37,209
			योग	**7,20,930**	**2,16,279**	**9,37,209**
2	7(70)/10/2	6395/5271	A. बाउण्ड्रीवाल	2,56,200	76,860	3,33,060
			योग	**2,56,200**	**76,860**	**3,33,060**
3	7(70)/10/4	5271	मकान, गैराज	14,01284	4,20,385	18,21,669
			योग	**14,01284**	**4,20,385**	**18,21,669**

185 (93)

4	7(70)/10 /5अ व ब	5272	Plot No. B मकान	10,36,236	3,10,871	13,47,107
			योग	**10,36,236**	**3,10,871**	**13,47,107**
5	7(70)/10 /7	5270	Plot F मकान Plot No. A बाउण्ड्रीवाल Plot No. B बाउण्ड्रीवाल Plot No. C बाउण्ड्रीवाल Plot No. D बाउण्ड्रीवाल Plot No. H बाउण्ड्रीवाल	24,30,891 58,800 56,700 56,700 56,700 56,700	8,14,947	35,31,438
			योग	**27,16,491**	**8,14,947**	**35,31,438**
		5278	Marked A मकान बाग सिंह के पीछे की लाइन मकान Marked I मकान Marked C मकान Marked D मकान Marked E बाउण्ड्रीवाल Marked F मकान Marked G मकान Marked G (B-53) मकान Marked H मकान Marked I मकान Marked J मकान Marked M बाउण्ड्रीवाल Marked N कमरा	13,78,628 7,88,274 7,32,366 9,56,261 8,25,224 53,550 9,68,922 2,84,160 6,40,616 9,37,451 7,80,656 9,78,719 53,550 84,250	28,38,788	1,23,01,415
			योग	**94,62,627**	**28,38,788**	**1,23,01,415**

खातेदारों को उपर्युक्त मुआवजा राशि के अतिरिक्त भूमि की कीमत पर धारा 23(1)ए के नियमानुसार 12 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा राशि धारा 4(1) के अन्तिम नोटिफिकेशन ऑफ पब्लिकेशन से भूमि पर कब्जा लेने या अवार्ड जारी करने तक की दिनांक जो भी पहले से न्यायालय में स्थगन की अवधि यदि कोई हो तो छोड़कर देय होगा साथ ही भू–अर्जन अधिनियम धारा 34 के अनुसार कब्जे की दिनांक से नहीं भुगतान की गयी राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक दर से 1 वर्ष की अवधि तथा 1 वर्ष के पश्चात् भुगतान की जाने वाली राशि पर भुगतान की तिथि पर 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा।

जिन खातेदारों/हितधारियों ने 25 प्रतिशत विकसित भूखण्ड का विकल्प दिया है उनको राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 27.10.05 के अनुसार 25 प्रतिशत विकसित भूखण्ड जिसमें 20 प्रतिशत आवासीय 5 प्रतिशत वाणिज्यिक विकसित भूखण्ड खातेदार की अवाप्त की जाने वाली भूमि में या उस योजना में जिसके लिए भूमि अवाप्त की गई है, में ही आवंटन किया जा सकेगा। यदि अवाप्तुशदा भूमि के बदले आवासीय भूमि का आवंटन उसी स्थान पर किया जाता है तो प्रार्थी को निर्मित भवनों का मुआवजा अलग से देय नहीं होगा। उसी योजना में किन्हीं अन्य स्थान पर भूमि आवंटन किए जाने की स्थिति में निर्मित भवनों का अलग से मुआवजा सम्बन्धित बी.एस.आर. से देय होगा। कुंआ वृक्ष इत्यादि का मुआवजा देय नहीं होगा।

संरचनाओं (स्थाई व अस्थाई निर्माण) का मूल्यांकन आवासीय अभियन्ता की तकमीना रिपोर्ट प्रचलित बी.एस.आर. की दरों को आधार मानते हुए तय किया गया है। इसी प्रकार भूमि पर स्थित सभी प्रकार के वृक्षों बड़े, मध्यम व छोटी श्रेणी के लिये क्रमशः 1500, 500, 100 प्रति नग के हिसाब से दिया जाना प्रस्तावित हैं लेकिन यदि खातेदार मुआवजा नहीं लेकर पेड़ लेना चाहे तो उन्हें यह विकल्प दिया जा रहा है। यदि कोई स्ट्रक्चर्स भूमि के कब्जे से पूर्व खातेदार द्वारा हटा दिया जाता है तो सम्बन्धित अभियन्ता की रिपोर्ट के आधार पर राशि वसूल की जावेगी।

180

मुआवजा राशि व विकसित भूखण्ड हितधारियों द्वारा वर्तमान जमाबन्दी, मिलान क्षेत्रफल नामान्तरण राजस्व रिकार्ड की प्रमाणित प्रति एवं किसी बैंक में रहन होने की स्थिति में सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण पत्र पेश करने पर ही यथोचित पहचान उपरान्त दिया जावेगा। किसी हितधारी की मृत्यु होने की दशा में वारिसान में विवाद न होने पर नामान्तरण व हाल जमाबन्दी में अंकित उत्तराधिकारियों को हिस्सेनुसार मुआवजा राशि व विकसित भूखण्ड दिये जावेंगे। साथ ही अवाप्ताधीन भूमि बाबत किसी सक्षम सिविल/राजस्व में विवाद विचाराधीन होने पर उक्त अवार्ड सम्बन्धित न्यायालय के आदेशों/निर्णयों के अध्याधीन होगा तथा तदनुसार संशोधित किया जा सकेगा। अवाप्ताधीन भूमि के लिए माननीय उच्च न्यायालय में एस.बी.सिविल रिट संख्या 11858/2011, 11859/2011, 1083/2013 एवं 9068/2012 विचाराधीन है जिनमें कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किए गए। अतः नियमानुसार अवार्ड प्रस्तावित किया जा रहा है। यह अवार्ड उक्त याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

अतः भूमि का अवार्ड प्रारूप आज दिनांक 14/8/13 को तैयार कर शासन उप सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज. जयपुर को अनुमोदनार्थ दोहरी प्रतियों में प्रेषित किया जा रहा है।

विशेषाधिकारी
(भूमि अवाप्ति)
विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

Signed

एन. के. गुप्ता
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम
नगरीय विकास विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के पत्र क्रमांक प.7(70)न.वि.वि./3/06 जयपुर दिनांक 09.09.13 के द्वारा अवार्ड का अनुमोदन किया गया। अतः इसी के अनुरूप उक्त अवार्ड को सरे इजलास घोषित किया जाकर मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से दिनांक 19.09.13 को जारी किया गया।

भू–अर्जन अधिनियम की धारा 12(1) के अनुसार अवार्ड सम्बन्धित पत्रावलियों में शामिल किया जाकर भू–अर्जन अधिनियम की धारा 12(2) के अन्तर्गत सभी हितधारियों को अवार्ड की प्रति जरिए नोटिस सूचित किया जावें।

(मधु रघुवंशी)
विशेषाधिकारी

क्रमांकः–ओ.एस.डी./न.वि.वि/13/ 1125 दिनांकः– 19/09/2013

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं

1. संयुक्त शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. तहसीलदार जालौर, जिला जालौर।
4. सम्बन्धित खातेदार।
5. अवार्ड पत्रावली।

(मधु रघुवंशी)
विशेषाधिकारी
विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर